सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 84/2012

1. सन्दीप सहारण पुत्र श्री राजेन्द्र सहारण जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत नेतेवाला द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर
2. भागीरथ पुत्र जयमलराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम विरूद्व आदेश पट्टा ग्राम पंचायत नेतेवाला दिनांक 23.01.2007 जो कि अप्रार्थी सख्या 02 के नाम से गलत यक्तरफा तौर से जारी किया गया बमुराद मन्सूखीया।

उपस्थित :–

1. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता निगरानीकार
3. श्री काशीराम रणंवा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 02

आदेश **दिनांकः 31.05.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 का कथित पट्टा के प्लाट पर कभी कब्जा नहीं रहा है इसलिए उसका पुराना कब्जा के आधार पर पट्टा कानूनी जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा वास्तव में जारी ही नहीं किया गया है अगर जारी किया गया हो तो भी किसी नियम की पालना नहीं की गई ना तो कोई कमेटी गठित का प्रस्ताव पास करके गठित की ना मौका देखा ना कब्जा की रिपोर्ट ली ना ही सर्व सम्मति से कोई प्रस्ताव पास हुआ ना ही आपत्ति पेश करने के लिए कोई सूचना ही प्रकाशित की गई ना आपत्तियां मांगी गई ना ही खुले आम बोली निलामी ही करवाई गई है जबकि कानूनन अलाट की पावर ही पंचायत को नहीं है। खुले आम रोज बोली करवाना व बोली करवाने से पूर्व इसकी सूचना प्रकाशित करवाना जरूरी है ताकि किसी को आपत्ति हो तो पेश कर सके। मगर ऐसा नहीं किया गया। पूर्व में भी ऐसे पट्टे जो जारी किए गए थे उन के खिलाफ निगरानी होने पर उन को निरस्त किया गया। अदालतवाला ने ही रिकॉर्ड मंगवाने के बाद 28.02.2012 को निगरानी स्वीकार करके पट्टा नियम विरूद्व होने के कारण निरस्त किया गया। इसी प्रकार से कथित पट्टा अप्रार्थी सख्या 02 का है जो कि निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो कोई प्रस्ताव पास किया गया। अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुचाने के लिए पट्टा जारी किया गया है। अतः पट्टा नियम विरूद्व है। निगरानीकर्ता इसी गांव का रहने वाला है तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता है तथा पूर्व में भी सरपंच के खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था बाद में उसका चालान पेश किया गया क्योंकि गैर कानूनी पट्टे जारी किए गऐ है इसलिए निगरानीकर्ता प्रभावित पक्षकार है तथा किसी भी व्यक्ति

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान जी स्वयं भी रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा को निरस्त कर सकते है। इस प्रकार गलत पट्टा से अप्रार्थी संख्या 02 अनुचित लाभ उठाएगा। अतः रोका जाना भी जरूरी है। अतः पट्टा को निरस्त करना न्यायहित में हर प्रकार से ही जरूरी है। गलत पट्टे बनाए जाने जारी किए जाने से सरकारी भूमि पंचायत की भूमि हडपने का सडयन्त्र भी बनता है। अतः इस प्रकार के मामले में वास्तव में जांच करके दोषी सरपंच के खिलाफ भी अगर उसके हस्ताक्षर पाए जाते है तो कार्यवाही करना जरूरी है। निगरानीकर्ता यह कार्यवाही जनहित में कर रहा है तथा इस प्रकार के फर्जी पट्टा की निगरानी की कानूनन कोई मियाद नियत नहीं है फिर भी निगरानीकर्ता अर्ज करता है कि उसको दो रोज पूर्व ही पता चला इस पर उसने जिला अभिलेखागार से 11.12.2012 को नकल हासिल की तथा यह निगरानी इल्म से अन्दर मियाद भी पेश की जा रही है। लिहाजा निगरानी स्वीकार कर पंचायत का रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा बहक अप्रार्थी सख्या 02 दिनांक 23.01.2007 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 का कथित पट्टा के प्लाट पर कभी कब्जा नहीं रहा है इसलिए उसका पुराना कब्जा के आधार पर पट्टा कानूनी जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा वास्तव में जारी ही नहीं किया गया है अगर जारी किया गया हो तो भी किसी नियम की पालना नहीं की गई ना तो कोई कमेटी गठित का प्रस्ताव पास करके गठित की ना मौका देखा ना कब्जा की रिपोर्ट ली ना ही सर्व सम्मति से कोई प्रस्ताव पास हुआ ना ही आपत्ति पेश करने के लिए कोई सूचना ही प्रकाशित की गई ना आपत्तियां मांगी गई ना ही खुले आम बोली निलामी ही करवाई गई है जबकि कानूनन अलाट की पावर ही पंचायत को नहीं है। खुले आम रोज बोली करवाना व बोली करवाने से पूर्व इसकी सूचना प्रकाशित करवाना जरूरी है ताकि किसी को आपत्ति हो तो पेश कर सके। मगर ऐसा नहीं किया गया। पूर्व में भी ऐसे पट्टे जो जारी किए गए थे उन के खिलाफ निगरानी होने पर उन को निरस्त किया गया। अदालतवाला ने ही रिकॉर्ड मंगवाने के बाद 28.02.2012 को निगरानी स्वीकार करके पट्टा नियम विरूद्व होने के कारण निरस्त किया गया। इसी प्रकार से कथित पट्टा अप्रार्थी सख्या 02 का है जो कि निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो कोई प्रस्ताव पास किया गया। अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुचाने के लिए पट्टा जारी किया गया है। अतः पट्टा नियम विरूद्व है। निगरानीकर्ता इसी गांव का रहने वाला है तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता है तथा पूर्व में भी सरपंच के खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था बाद में उसका चालान पेश किया गया क्योंकि गैर कानूनी पट्टे जारी किए गऐ है इसलिए निगरानीकर्ता प्रभावित पक्षकार है तथा किसी भी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान जी स्वयं भी रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा को निरस्त कर सकते है। इस प्रकार गलत पट्टा से अप्रार्थी संख्या 02 अनुचित लाभ उठाएगा। अतः रोका जाना भी जरूरी है। अतः पट्टा को निरस्त करना न्यायहित में हर प्रकार से ही जरूरी है। गलत पट्टे बनाए जाने जारी किए जाने से सरकारी भूमि पंचायत की भूमि हडपने का सडयन्त्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

भी बनता है। अतः इस प्रकार के मामले में वास्तव में जांच करके दोषी सरपंच के खिलाफ भी अगर उसके हस्ताक्षर पाए जाते है तो कार्यवाही करना जरूरी है। अतः निगरानी स्वीकार कर पंचायत का रिकॉर्ड मंगवाकर पट्टा बहक अप्रार्थी सख्या 02 दिनांक 23.01.2007 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि मुझ प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत नेतेवाला द्वारा पट्टो की नीलामी के सम्बन्ध में बोली की गई थी जिसमें मुझ प्रार्थी की बोली 200/–ऊंची होने के कारण बोली स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 23.01.2007 की पालना में पट्टा संख्या 91 जारी किया गया है। उक्त पट्टा उप पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा रजिस्टर्ड किया जा चुका है। मुझ प्रार्थी द्वारा अधिकतम बोली दिये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया विधि सम्मत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानी के साथ जो पट्टा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.11.2006 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को नियम 157 के तहत पुराने कब्जों का नियमन कर पट्टा जारी किया गया है जिसका नियमों में प्रावधान यह है:–

157– पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहॉ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृहों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वहां निम्नानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत पट्टा जारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्षो से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु।

ग्राम पंचायत द्वारा जांच कमेटी का गठन कर इस तथ्य की जॉच नही की गई कि अप्रार्थी संख्या 02 का मकान कितने वर्ष पुराना बना हुआ है और वह परिवार सहित कब से रह रहा है ? पट्टे का नियमन नियम 157(क) के अन्तर्गत करना अंकित किया गया है। जबकि पट्टा जिस प्रारूप में जारी किया गया है वह प्रारूप 23 पं.रा. नियम 1996 के तहत आबादी भूमि के विक्रय के लिए जारी किया गया है। इस प्रकार 200/–रूपये की उच्चतम बोली के तहत विक्रय से और पुराना कब्जा नियमन के तहत पट्टा जारी करना अंकित करना विरोधाभाषी है। अप्रार्थी इस पट्टे को नीलामी बोली में क्रय करके हासिल करना बताया है जबकि पंचायत इसे नियमन के तहत जारी करना बताती है। यह विसंगति सद्भावी नहीं है।

निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2017 के अनुसार गैरनिगरानीकर्ता 40 वर्षो से सूरतगढ रहना बताता है परन्तु जिसके सम्बन्ध में वर्ष 1995,2004,2013 की मतदाता सूची की प्रतियां एवं राशनकार्ड की प्रस्तुत प्रतियों से प्रमाणित होता है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 ग्राम पंचायत नेतेवाला का स्थाई निवासी नही रहा है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो रेकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है , उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 को ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिवत् प्रकिया अपनाकर पट्टा जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। निगरानी के साथ प्रस्तुत पट्टा बिना विधिक प्रकिया अपनाए एवं बिना राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की पालना किए अवैध रूप से जारी किया जाना पाया जाता है। ग्राम पंचायत नेतेवाला के सम्बन्ध में प्रस्तुत अन्य निगरानी संख्या 42/2009 एवं 43/2009 में न्यायालय हाजा से हुए निर्णय दिनांक 28.02.2012 से भी संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.11.2006 से जारी पट्टो के सम्बन्ध में निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टे निरस्त किये गए। जिसे बाद में अपील किये जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर द्वारा अपनी एस.बी.सिविल रिट नम्बर 14039/2013 निर्णय दिनांक 16.02.2018 द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय बहाल रखा है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 02 भागीरथ पुत्र जयमलराम को जारी निगरानीधीन पट्टा निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर